

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

सोमवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2021 (अग्रहायण 8, 1943)

माननीय श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री अजय चंद्राकर, श्री ननकीराम कंवर, श्री नारायण चंदेल, श्री पुन्नूलाल मोहले, श्री शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री विद्यारतन भसीन, श्री डमरूधर पुजारी, श्री रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू तथा श्री सौरभ सिंह सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (नगर), रायपुर की ओर से दिनांक 24.11.2021 द्वारा यह सूचना दी गई है कि -

दिनांक 24.11.2021 को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों, माननीय श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री अजय चंद्राकर, श्री ननकीराम कंवर, श्री नारायण चंदेल, श्री पुन्नूलाल मोहले, श्री शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री विद्यारतन भसीन, श्री डमरूधर पुजारी, श्री रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू तथा श्री सौरभ सिंह को अपराहन 15:30 बजे बंदी कर थाना सिविल लाईन परिसर, रायपुर में रखा गया तथा दिनांक 24.11.2021 को ही उपरोक्त सभी माननीय सदस्यों को अपराहन 16:00 बजे रिहा कर दिया गया।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.